The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 12 | December 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

वेरियर एल्विन की जनजातियों से संबंधित नेशनल पार्क की अवधारणा की प्रांसगिकता

डॉ. राहुल भारती
शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा म. प्र.

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.18240734

ARTICLE DETAILS

Research Paper
Accepted: 24-12-2025
Published: 10-01-2026

Keywords:
जनजातीय, समुदाय, देवस्थान, संस्कृति जीवनशैली

ABSTRACT

भारत मे बड़े पैमाने की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे बांध, खनन, और औद्योगिक विस्तार, राष्ट्रीय अभ्यारण जो अक्सर देश की प्रगति के प्रतीक माने जाते हैं, ने जनजातीय समुदायों को असमान रूप से प्रभावित किया है, उनकी जमीन, रोजगार, और सांस्कृतिक पहचान को छीन लिया है। चूंकि जनजातीय समुदाय लंबे समय से अपने स्थानों पर रहते हैं, उन्हें उनकी जमीन से हटाना न केवल उनके निवास के लिए समस्याएं पैदा करता है, बल्कि उनकी पहचान, जनजातीय संस्कृति, देवस्थान और जीवनशैली के लिए भी समस्याएं पैदा करता है।

प्रस्तावना-

वेरियर एल्विन (1902-1964) मानव शास्त्री थे जिन्होंने विभिन्न जनजातियों के अध्ययन के पश्चात् जनजातियों के संरक्षण एवं उनके कला संस्कृति बोली रहन सहन को संरक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा दी यह अवधारणा एक बंद व्यवस्था जैसी नहीं थी किंतु बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से परे एक जनजातियों को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त समावेशी विकास की अबधारणा थी। जनजातीय हो जनजातियों के संरक्षित उपायों में राष्ट्रीय भवन की हम धरना एक महत्वपूर्ण कड़ी थी जिससे जनजातियों का एक समावेशित विकास किया जा सकता था। वर्तमान समय में ही ये चुनौती देखा गया है कि जनजातियों के स्थल धर्म संस्कृति बोली आदि एक विशिष्ट

एक ब्रिटिश मूल के मानवशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण की और भारत की जनजातीय आबादी के अध्ययन एवं कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें विशेष रूप से मध्य

भारत के बैगा और गोंड तथा बाद में पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर तत्कालीन नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA), जिसे अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, की जनजातियों के साथ उनके कार्य के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय मामलों का सलाहकार नियुक्त किया था। एल्विन का दर्शन जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक स्वायत्तता, संरक्षण और उनके विकास के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण पर आधारित था, जिसे "NEFA के लिए पंचशील" में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था।

पृथकतावाद जो जनजातीय समुदायों के विकास के लिए एक अलग और विशिष्ट स्थान की आवश्यकता पर जोर देती है। इसके प्रमुख समर्थकों में जे.एच. हटन (J.H. Hutton) और वेरियर एल्विन (Verrier Elwin) शामिल हैं।

पृथकतावाद के मुख्य बिंदु:

- अलग स्थान की आवश्यकता*: जनजातीय समुदायों को अपनी संस्कृति, प्रथा, और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए एक पृथक स्थान चाहिए।

- राष्ट्रीय उद्यान की परिकल्पना: वेरियर एल्विन ने 'राष्ट्रीय उद्यान' (National Park) की स्थापना का सुझाव दिया, जहां जनजातीय लोग अपनी जीवनशैली को बिना बाहरी प्रभाव के जी सकें। लाभ हैं कि जनजातीय संस्कृति का संरक्षण। बाहरी प्रभावों से बचाव, जिससे उनकी पहचान बनी रहे।

<u>बाहरी प्रभाव से प्रभावित जनजाति एवं वेरियर एल्विन की अवधारणा-</u>

बाहरी प्रभाव से जनजाति बाहरी प्रभाव से अधिक शोषण हुआ है। प्राइम ये देखा गया है की जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चल रही है किंतु इन योजनाओं की क्रियान्वयन मैं कितना जनजातियों की समावेशी संस्कृति बोली देवस्थान आदिका ख्याल रखा गया है ? मध्यप्रदेश में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती है और यह प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक जनजातियां यहाँ पर निवास करती है। भारिया जनजाति पातालकोट छिंदवाड़ा बैगा जनजाति मंडला सहरिया जनजाति से शिवपुरी यह विशेष जनजाति है मध्यप्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति है। जनजातियों में प्रगति की बात की जाती है किंतु प्रगति मैं हम उनकी संस्कृति विरासत देवस्थान बोलि आदि को नकार कर आधुनिक दुनिया से जोड़ने की बात करते हैं किंतु सांस्कृतिक तौर पर वे हम से अधिक समृद्ध है क्या हम विकास और प्रगति के नाम पर उन्हें उनके स्थान से विलुप्त कर रहे हैं मध्यप्रदेश में जनजातियों की एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है एवं मध्यप्रदेश एक टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है

और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की संख्या भी अधिक है। प्रायः देखा गया है कि टाइगर स्टेट एवं जानवरों के संरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक कार राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य बनाए गए हैं और उन्हें संरक्षित किया गया है किंतु एक काला सच यह भी देखा गया है कि जिन जंगलों में वर्षों से जो जनजातियां निवास कर रही है और उस निवास स्थान के आधार पर ही उनकी संस्कृति, देवस्थान, बोली, और उन्हें संरक्षित होने का दर्जा प्राप्त इस संविधान ने उसी आधार पर उन्होंने आरक्षण प्रदान किया फिर अभ्यारण्य बनाने से संरक्षित करने के उन्हें उस स्थान से हटा दिया जाता है। जिससे वह वहाँ से हटने पर उनकी संस्कृति, बोली, देवस्थान एवं संविधान आधारित आरक्षण जिस पर उन्होंने भौगोलिक के आधार पर दिया गया है वो तो खत्म ही हो जाता है जिससे उनकी विरासत एवं पहचान एक संकट खड़ा हो गया है क्योंकि हम जानवरों का संरक्षण करने के लिए उन्हें उस स्थान से अन्य स्थान पर एक नए गांव में बसा देते यह जनजातियों के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। जनजातीय जनजातियों को संरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत उन्हें भौगोलिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया है ताकि जनजातीय अपनी संस्कृति देवस्थान और बिना किसी हटाएँ उनका समावेशी विकास हो सके।किंतु विकास के नाम पर हम उन्हें उनके स्थान पर पर्यटन एवं बाहरी प्रवेश से कहीं न कहीं हम भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है। पैसा अधिनियम के अधिकारों का उल्लंघन एवं ग्राम सभा के अधिकार को चुनौती देकर उन्हें स्वतः ही धीरे धीरे हटा रहे हैं एवं जनजातियों के सामने एक गंभीर संकट पैदा हो रहा है। जनजातियों को खनन और पर्यटन से उनके स्थान पर अतिक्रमण हो रहा है तथा भारी प्रवेश उनकी संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं। बांधों, खनन और अवसंरचना जैसी **विकास परियोजनाओं** के कारण **6 करोड़** से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भारत की कुल जनसंख्या (जनगणना 2011) में आदिवासियों की संख्या मात्र 8.6% होने के बावजूद, विस्थापितों में से **लगभग 40%** आदिवासी हैं। वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के परिणामस्वरूप, लगभग 5.5 लाख अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों को उनके मूल निवास स्थान से हटना पड़ा, जो मुख्य वन क्षेत्रों में स्थित थे। वेदांता समूह नियमगिरि पहाड़ियों से बॉक्साइट खनन करना चाहता था ताकि उनकी लांजीगढ़ एल्यूमीनियम रिफाइनरी को कच्चा माल मिल सके। लेकिन स्थानीय डोंगरिया कोंध आदिवासियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे नियमगिरि पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं और उनका मानना है कि खनन से उनकी संस्कृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा।

2003 में वेदांता और ओडिशा सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें नियमगिरि पहाड़ियों से 15 लाख टन बॉक्साइट खनन की अनुमति दी गई थी। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया

कि ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना खनन नहीं किया जा सकता है। ग्राम सभाओं ने खनन के खिलाफ मतदान किया, जिसके बाद वेदांता की परियोजना को रद्द कर दिया गया।

निष्कर्ष-

जनजातियों के विकास में ये देखा गया है की उन्हें आधुनिक समाज से जोड़ने के लिए इस तरह का मॉडल प्रस्तुत किया जाता है की वह केवल आधुनिक युग से जुड़े जाए। जनजातियों का विकास केवल आधुनिक युग से जोड़ना एक हम उनको उस से उनके स्थान से हटाते हैं। जनजातियों के विकास उनकी संस्कृति को छेड़े बिना एक समावेशी विकास से है। इस आधार पर हम यह कह सकते है कि वेरियर एल्विन नेशनल पार्क की अवधारणा बहुत ही प्रसांगिक लगती हैं।

संदर्भ-

- https://www.indiatodayhindi.com/magazine/cover-story/story/20130911-injury-to-vote-on-mining-585614-2013-09-04
- Singh R.K and Manasranjan Bishi. 2025. 'Development-led Displacement in Tribal Areas of Odisha: An Overview'. Sampratyaya, 2(2):101-115.
- Mohanty, B. 2005. Displacement and Rehabilition of Tribals. Economic and Political Weekly, 40(13)
- https://www.spsmedia.in/wild-life-villages-becoming-deserted-in-the-name-of-tigers/